रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 733] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 11, 2018/ आश्विन 19, 1940
No. 733] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 2018/ASVINA 19, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 1023(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 125 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण (वार्षिक लेखा कथन का प्ररूप) नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (5) के अधीन गठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) "निधि" से अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि अभिप्रेत है;

(ङ) "विनिधानकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी की किसी स्कीम या योजना के अधीन शेयरों या डिबेंचरों, बंध पत्र या निक्षेप में धन का विनिधान किया है;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप की अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) "वर्ष" से एक अप्रैल से प्रारंभ होने वाले और तत्काल पश्चातवर्ती वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. वित्तीय कथनों का प्ररूप.- (1) प्राधिकरण इन नियमों के साथ संलग्न वित्तीय कथनों के प्ररूप में अपने लेखा रखेगा।

(2) प्राधिकरण वित्तीय कथन रखने में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी या अधिकथित निर्देशों और लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करेगा।

(3) वित्तीय कथनों में प्राधिकरण के मामलों की सत्य और निष्पक्ष स्थिति दर्शायी जाएगी और इसके लिए अधिनियम की धारा 133 के अधीन अधिसूचित लेखांकन मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

4. प्राधिकरण द्वारा व्यय उपगत किया जाना.- इस निधि से व्यय उपगत करने वाला या व्यय उपगत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय औचित्य मानकों और साधारण वित्तीय नियम, 2017 का अनुसरण करेगा।

5. वार्षिक लेखा कथन.- (1) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि के पश्चात् प्राधिकरण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, महालेखा नियंत्रक द्वारा विहित वित्तीय कथनो के संकलन के लिए टिप्पण और अनुदेशों के अनुसार, यथा अपेक्षित निम्नलिखित यथा उपांतरित और इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचियों के साथ वित्तीय कथन, लेखों पर टिप्पण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, तैयार करेगा:

(i) तुलन पत्र,
(ii) आय और व्यय लेखा,
(iii)प्राप्ति और भुगतान लेखा।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा और अनुसूचियों को प्राधिकरण या प्राधिकरण की ओर से और प्रमाणीकरण के प्रयोजन से अधिकृत किसी समिति द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत किया जाएगा और प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए उस पर प्राधिकरण के अध्यक्ष और एक सदस्य के हस्ताक्षर होंगे।

(3) प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित लेखा लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, वर्ष समाप्त होने के तीन महीने की अवधि के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा उसकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को भेजे जाएंगे।

(4) भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा उसकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकरण के वार्षिक लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ और प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेजी जाएगी।

6. लेखा का अनुरक्षण आदि.- प्राधिकरण नियम 5 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा, उपर्युक्त कथनों की अनुसूचियां और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा को संबंधित वर्ष के पश्चात् न्यूनतम आठ वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित रखेगा।

[फा.सं. 05/14/2017-आईईपीएफ]

अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव

वित्तीय विवरण का प्ररूप

(देखें 3 नियम)

संगठन का नाम विनिधानकर्ता :शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण

______________ के अनुसार तुलनपत्र

(रकम रुपये में)

निधि और देयताएं	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
समग्रपूंजीगत निधि/	**I**		
आरक्षित और अधिशेष	**II**		
निर्धारितस्थायी निधियां/	**III**		
प्रतिभूत कर्ज और उधार	**IV**		
अप्रतिभूत कर्ज और उधार	**V**		
आस्थगित ऋण देयताएं	**VI**		
चालू देयताएं और उपबंध	**VII**		
कुल			
आस्तियां			
स्थायी **आस्तियां**	**VIII**		
निवेश - प्राधिकरण के निर्धारित स्थायी निधियों से/	**IX**		
निवेश - अन्य	**X**		
चालू आस्तियां ऋण और अग्रिम ,	**XI**		
प्रकीर्ण व्यय बट्टे खाते में डाली गई) या समायोजित न की गई सीमा तक(			
कुल			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**XXII**		
आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां	**XXIII**		

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण

अध्यक्ष **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

स्थान : दिल्ली

तारीख :

___________ को समाप्त हुई अवधिवर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान/
[नियम देखें 5]

(रकम रुपये में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(I) प्रारंभिक अतिशेष			**(I) व्यय**		
(क) हाथ में नकदी बैंक बैलेंस (ख)			अनुसूची) स्थापना व्यय (क)-XVIII के अनुसार(		
(i) चालू खातों में			-अनुसूची) प्रशासनिक व्यय (ख)XIX के अनुसार(		
(ii) जमा खातों में			**(II) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि हेतु किए गए भुगतान**		
(iii) बचत खातों में					
(II) प्राप्त अनुदान			(निधि अथवा परियोजना का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतानों के ब्यौरों सहित दिखाया जाना चाहिए)		
भारत सरकार से प्राप्त (घ)					
राज्य सरकार से प्राप्त (ङ)					
(च) अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान (ब्यौरा दें) (पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान पृथक रूप से दिखाए जाएं)					
(III) निम्नलिखित से निवेशों पर आय			**(III) किए गए निवेश और जमाएं**		
(क) निर्धारित निधियों/स्थायी निधियों से			(क) निर्धारित निधियों/स्थायी निधियों से		
(ख) खुद की निधियों से (अन्य निवेश)			(ख) खुद की निधियों से (अन्य निवेश)		
(IV) प्राप्त ब्याज			**(IV) स्थायी आस्तियां और चल रहे पूंजी कार्यों पर व्यय**		
(क) बैंक जमाओं पर (ख) ऋणों, अग्रिमों आदि पर			(क) स्थायी आस्तियों की खरीद (ख) चल रहे पूंजी कार्यों पर व्यय		

(V) अन्य आय (उल्लेख करें)			**(V) अधिशेष राशि/ऋणों को लौटाना** (क) भारत सरकार को (ख) राज्य सरकार को (ग) निधि प्रदान करने वाले अन्य स्रोत		
(VI) उधार की रकम			**(VI) वित्त प्रभार (ब्याज)**		
(VII) कोई अन्य प्राप्तियां (ब्यौरा दें)			**(VII) अन्य भुगतान (ब्यौरा दें)**		
			(VIII) अंतशेष (क) हाथ में नकदी (ख) बैंक बैलेंस (i) चालू खातों में (ii) जमा खातों में (iii) बचत खातों में		
कुल			**कुल**		

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण

अध्यक्ष **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

स्थान : दिल्ली

तारीख :

__________ को समाप्त हुई अवधिवर्ष के लिए आय और व्यय/

[नियम देखें 5]

(रकम रुपये में)

आय	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
बिक्री/सेवाओं से प्राप्त आय	XII		
अनुदान/आर्थिक सहायता	XIII		
फीस/अंशदान	XIV		
निवेश से प्राप्त आय (निर्धारित/स्थायी निधि से किए गए निवेश से प्राप्त आय निधि में अंतरित की गई)	XV		
स्वामित्व, प्रकाशन इत्यादि से प्राप्त आय	XVI		

अर्जित ब्याज	XVII		
अन्य आय	**XVIII**		
तैयार माल के स्टॉक और चालू कार्य में बढ़ोत्तरी/(कमी)	**XIX**		
कुल (क)			
व्यय	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
स्थापना संबंधी व्यय	XX		
अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि	XII		
अनुदान, आर्थिक सहायता इत्यादि पर व्यय	XXII		
ब्याज	XXIII		
मूल्यह्रास (वर्ष की समाप्ति पर निवल जोड़)	**XXIV**		
कुल (ख)			
शेष जो व्यय से अधिक आय है (क-ख)			
विशेष आरक्षिति में अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)			
सामान्य आरक्षिति को/से अंतरण			
कॉर्पस/पूंजीगत निधि में लाए गए अधिशेष (घाटे) का शेष है			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXV		
आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां	XXVI		

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण

अध्यक्ष **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

स्थान : दिल्ली

तारीख :

31 मार्च, ... तक के अनुसार तुलन-पत्र के भाग को तैयार करने वाली अनुसूचियां

_______________ (देखें 5 नियम)

अनुसूची-I

कॉर्पसपूंजी निधि/

(रकम रुपये में)

वर्ष के प्रारंभ में शेष निधि	**चालू वर्ष**		**पूर्व वर्ष**	
जोड़ें : कार्पस/पूंजीगत निधि के अंशदान जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय (व्यय) का शेष				
को समाप्त वर्ष में शेष -				

अनुसूची-II
आरक्षित निधि और अधिशेष

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष		**पूर्व वर्ष**	
1. पूंजीगत आरक्षिति: (i) जोड़ें : कार्पस/पूंजीगत निधि के अंशदान (ii) जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से (iii) अंतरित निवल आय (व्यय) का शेष				
2. आरक्षिति का पुनर्मूल्यन : (i) अंतिम लेखे के अनुसार (ii) वर्ष के दौरान जोड़ी गई पूंजी (iii) घटाएं वर्ष के दौरान कटौतियां :				
3. विशेष आरक्षितियां : (i) अंतिम लेखे के अनुसार (ii) वर्ष के दौरान जोड़ी गई पूंजी (iii) घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां				
4. सामान्य आरक्षितियां : (i) अंतिम लेखा के अनुसार (ii) वर्ष के दौरान जोड़ी गई पूंजी (iii) घटाएं वर्ष के दौरान कटौतियां :				
कुल				

अनुसूची-III
निर्धारितस्थायी निधि/

(रकम रुपये में)

निधि क) निधियों का प्रारंभिक शेष ख) निधियों में निम्नलिखित द्वारा वृद्धि	**निधिवार ब्यौरा**			**कुल**		
	निधि			**चालू वर्ष**		**पूर्व वर्ष**
i) दान/अनुदान ii) निधियों के लेखे पर किए गए विनिधान से आय **iii)** अन्य वृद्धि (वृद्धि के स्वरूप को विनिर्दिष्ट करें)						
कुल (क+ख)						
ग) निधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए धन का उपयोग/व्यय i) पूंजीगत व्यय - अन्य स्थायी आस्तियां - अन्य						

कुल ii) राजस्व व्यय - वेतनमजदूरी और भत्ते इत्यादि , - किराया - अन्य प्रशासनिक व्यय (खर्चे) जोड़						
जोड़ (ग)						
वर्ष को समाप्त निवल शेष (ग+ख+क)						

टिप्पणियां

(1) प्रकटीकरण अनुदान के साथ संलग्न शर्तों पर आधारित संगत शीर्षों के अंतर्गत किया जाएगा।

(2) केंद्रीयराज्य सरकारों से प्राप्त योजना संबंधी निधि को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाएगा और इसे किसी अन्य / निधि के साथ नहीं मिलाया जाएगा।

अनुसूची-IV
रक्षित कर्ज और उधार :

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष		**पूर्व वर्ष**	
1. केंद्रीय सरकार				
1. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)				
2. वित्तीय संस्थाएं (क) सावधि कर्ज (ख) प्रोद्भूत और देय ब्याज				
3. बैंक : क) सावधि ऋण – प्रोद्भूत और देय ब्याज ख) अन्य कर्ज (विनिर्दिष्ट करें) – प्रोद्भूत और देय ब्याज				
4. अन्य संस्थाएं और अभिकरण				
5. डिबेंचर और बंधपत्र				
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
कुल				
एक वर्ष के भीतर देय रकम : टिप्पणी				

अनुसूची-V

अरक्षित कर्ज और उधार

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. केंद्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक : (क) सावधि कर्ज (ख) अन्य कर्ज (विनिर्दिष्ट करें)		
5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण		
6. डिबेंचर और बॉण्ड		
7. सावधि जमा		
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल		
टिप्पणी एक वर्ष के भीतर देय रकम :		

अनुसूची-VI

आस्थगित ऋण संबंधी देनदारियां

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. स्वीकृतियां जो पूंजीगत उपस्कर और अन्य आस्तियों को दृष्टिबंधक रखकर दी गई हैं 2. अन्य		
जोड़		
टिप्पणी एक वर्ष के भीतर देय रकम :		

अनुसूची-VII

चालू देयताएं और उपबंध

(रकम रुपए में)

क.	**चालू देयताएं**	**चालू वर्ष**		**पूर्व वर्ष**	
	1. स्वीकृतियां				
	2. विविध लेनदार:				
	क) माल के लिए				
	ख) अन्य				
	3. प्राप्त की गई अग्रिम धनराशि				
	4. प्रोद्भूत ब्याज लेकिन जो निम्नलिखित पर देय नहीं है:				
	योग (क)				
ख.	**उपबंध**				
	1. कराधान के लिए				
	2. उपदान				

	3. अधिवर्षिता/पेंशन				
	4. संचित छुट्टी का नकदीकरण				
	5. व्यापार वारंटी/दावे				
	6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
	जोड़ ख				
	जोड़ (ख+क)				

अनुसूची-VIII
स्थायी आस्तियां

(रकम रुपए में)

	सकल ब्लॉक				**मूल्यह्रास**				**निवल ब्लॉक**	
व्याख्या	**वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन**	**वर्ष के दौरान वृद्धि**	**वर्ष के दौरान कटौती**	**वर्ष को समाप्त लागत/ मूल्यांकन**	**वर्ष के प्रारंभ में**	**वर्ष के दौरान**	**वर्ष के दौरान कटौती होने पर**	**वर्ष के अंत तक जोड़**	**चालू वर्ष की समाप्ति पर**	**पूर्व वर्ष की समाप्ति पर**
स्थायी परिसंपतिया										
1. भूमि										
क) पूर्ण स्वामित्व वाली										
ख) पट्टाधृत भूमि										
2. भवन										
क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर बने भवन										
ख) पट्टाधृत भूमि पर बने भवन										
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर										
घ) ऐसी भूमि पर अधिसंरचना करना जिसका संबंध उस संगठन से नहीं है।										
3. संयंत्र मशीनरी और उपस्कर										
4. वाहन										
5. फर्नीचर, जुड़ना										
6. कार्यालय उपस्कर										
7. कंप्यूटर/पेरिफरल्स										
8. विद्युत अधिष्ठापन										
9. पुस्तकालय/पुस्तकें										

किराया क्रय जिसमें उपर्युक्त शामिल है के आधार पर आस्तियों के लागत का नोट दिया जाना है।

अनुसूची-IX
निर्धारित की गईस्थायी निधियों से निम्नलिखित प्रतिभूतियों में निवेश/

(रकम रुपये में)

		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में		
3.	शेयरों में		
4.	डिबेंचर और बॉण्ड में		
5.	सहायक और संयुक्त उपक्रमों में		
6.	अन्य (निर्दिष्ट करेंवि)		
	जोड़		

अनुसूची-X
अन्य निवेश

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में		
3. शेयरों में		
4. डिबेंचर और बांड में		
5. सहायक और संयुक्त उपक्रमों में		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		

अनुसूची-XI
चालू आस्तियां, कर्ज, अग्रिम इत्यादि

(रकम रुपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
चालू आस्तियांअग्रिम आदि ,ऋण ,		
क) चालू आस्तियां:		
1. संपति सूची:		
क) भंडार और अतिरिक्त		
ख) खुला उपकरण		
ग) व्यापारगत स्टॉक		
तैयार माल		
प्रगति पर		
कच्चा माल		
(यदि संगत न हो तो शून्य लिखा जाए)		
2. विविध लेनदार		
(क) छह मास से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		
(ख) अन्य		
3. शेष नकद राशि (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)		

4. . बैकों में पड़ी धनराशि		
अनुसूचित बैंकों में:-		
गैर अनुसूचित बैंकों में:-		
-चालू खातों में		
-जमा खातों में (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत खातों में		
5. डाक घर बचत खाता		
जोड़ (क)		

वर्ष 31 मार्च, 20.. को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची-XII

विक्रयसेवा से आय/

(रकम रुपए में)

चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
विक्रय आय	
सेवा से प्राप्त आय	

अनुसूची-XIII

अनुदानआर्थिक सहायता/

(प्राप्त किए गए अप्रतिसंहरणीय अनुदान और आर्थिक सहायता)

(रकम रुपए में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. केंद्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (सरकारें)		
3. सरकारी अभिकरण		
4. संस्थाएं/कल्याण निकाय		
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		

अनुसूची-XIV

फीसअभिदान/

(रकम रुपए में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. प्रवेश फीस		
2. फाइलिंग फीस		
3. सेमिनार/कार्यक्रम फीस		
4. परामर्शी फीस		
5. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		
टिप्पणी – प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियां बताई जाएंगी।		

अनुसूची-XV
निवेश से प्राप्त आय
(निर्धारित/स्थायी निधि से निवेश पर आय को निधि में अंतरित किया गया है)

(रकम रुपये में)

	निर्धारित निधि से निवेश		**निवेश – अन्य**	
	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख) अन्य बांड/डिबेंचरों पर				
2. लाभांश				
शेयरों पर				
म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3. किराया				
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
जोड़				
निर्धारित/स्थायी निधि में अंतरित				

अनुसूची-XVI
स्वामित्व, प्रकाशन इत्यादि से प्राप्त आय

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1) स्वामित्व से प्राप्त आय		
2) प्रकाशन से प्राप्त आय		
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		

अनुसूची-XVII
अर्जित ब्याज

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1) स्वामित्व से प्राप्त आय		
2) प्रकाशन से प्राप्त आय		
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
1) स्वामित्व से प्राप्त आय		
2) प्रकाशन से प्राप्त आय		
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
1) स्वामित्व से प्राप्त आय		
2) प्रकाशन से प्राप्त आय		
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
1) स्वामित्व से प्राप्त आय		

2) प्रकाशन से प्राप्त आय		
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
1) स्वामित्व से प्राप्त आय		
2) प्रकाशन से प्राप्त आय		
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
1) स्वामित्व से प्राप्त आय		

अतुसूची-XVIII

अन्य आय

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:		
क) निजी परिसंपत्तियों पर		
ख) अनुदान से अर्जित या निशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियों पर		
2. विविध सेवाओं के लिए फीस		
3. प्रकीर्ण आय		
जोड़		

अनुसूची-XIX

तैयार माल और तैयार होने वाले माल में बढत/(कमी)

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
विक्रय से आय		
सेवा से प्राप्त आय		

अनुसूची-XX

स्थापना संबंधी व्यय

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. वेतन और मजदूरी		
2. भत्ते और बोनस		
3. भविष्य निधि में अंशदान		
4. अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)		
5. कर्मचारीवृंद कल्याण संबंधी खर्च		
6. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभों पर व्यय		
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		

अनुसूची-XXI

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
क) क्रय		
ख) श्रम और प्रक्रियागत खर्च		
ग) ढुलाई और गाड़ी भाड़ा आवक		
घ) विद्युत और पावर		
ङ) जल प्रभार		
च) बीमा		
छ) मरम्मत और रखरखाव		
ज) माल और सेवा कर		
झ) किराया, दरे और कर		
ञ) वाहन चलाना और उनका रखरखाव		
ट) डाक खर्च, टेलीफोन और संप्रेषण प्रभार		
ठ) मुद्रण और लेखन सामग्री		
ड) यात्रा और वाहन संबंधी व्यय		
ढ) सेमिनार/कार्यशालाओं पर हुआ व्यय		
ण) अंशदान संबंधी व्यय		
त) शुल्क संबंधी व्यय		
थ) लेखापरीक्षकों के लिए पारिश्रमिक		
द) आतिथ्य सत्कार संबंधी व्यय		
ध) व्यवसायिक प्रभार		
न) अशोध्य और संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए उपबंध		
प) बट्टे खाते डाली गई अप्रतिसंहरणीय शेष राशि		
फ) पैकिंग प्रभार		
ब) मालभाड़ा और अग्रेषण संबंधी व्यय		
भ) वितरण संबंधी व्यय		
म) विज्ञापन और प्रचार		
य) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		

अनुसूची-XXII

अनुदान, आर्थिक सहायता इत्यादि पर हुआ व्यय

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान		
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता		
जोड़		
टिप्पणी: संगठन का नाम, उनके कार्यकलाप और अनुदान/आर्थिक सहायता की रकम प्रकट की जाए।		

अनुसूची-XXIII

ब्याज

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क) नियत ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		

अनुसूची-XXIV

अवमूल्यन (वर्ष की समाप्ति में कुल अवमूल्यन)

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क) स्थायी आस्तियां		
ख) अन्य चल आस्तियां		
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		

अनुसूची जो वर्ष 31 मार्च, 20........ को समाप्त वर्ष के लेखों का भाग है।

अनुसूची-XXV

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (निदर्शी)

1. लेखांकन विधि

वित्तीय विवरणों को, यदि अन्यथा वर्णित नहीं किया गया है तो प्रचलित लागत विधि और लेखांकन की उपचय विधि के आधार पर तैयार किया जाता है।

2. विनिधान

2.1 "दीर्घकालीन विनिधान" के रूप में वर्गीकृत विनिधान लागत पर किए जाते हैं। ह्रास के लिए जो अस्थायी से भिन्न है, ऐसे निवेश की लागत पर किया जाता है।

2.2 "चालू" के रूप में वर्गीकृत विनिधान न्यूनतम लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे विनिधान के मूल्य मे गिरावट के लिए उपबंध किए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक विनिधान पर अलग से विचार किया जाता है न कि व्यापक आधार पर किया जाता है।

2.3 लागत में अर्जन व्यय को भी शामिल किया जाता है जैसे दलाली, ट्रांसफर स्टांप।

3. अचल परिसंपत्तियां

3.1 अचल परिसंपत्तियों को अर्जन लागत पर वर्णित किया जाता है जिसमें आवक ढुलाई, शुल्क और कर तथा अर्जन से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष व्यय शामिल है। निर्माण संबंधी परियोजनाओं के मामले में, संबंधित प्रचालन-पूर्व व्यय (विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए उनके पूरा होने से पहले, ऋण पर ब्याज सहित), पूंजीकृत परिसंपत्ति के मूल्य का भाग बनता है।

3.2 गैर-मौद्रिक अनुदानों (कॉरपस निधि के लिए अनुदान से भिन्न) के रूप में प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को पूंजीगत आरक्षित निधि में तद्नुरूप जमा (क्रेडिट) करके वर्णित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

4.1 मूल्य ह्रास आय-कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों पर स्ट्रेट-लाइन विधि के अनुसार दिया जाता है इसमें चल परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय देयताओं को परिवर्तित करने के कारण उत्पन्न होने वाला लागत समायोजन शामिल नहीं है, जो संबंधित परिसंपत्तियों की अंक्षिष्ट अवधि के दौरान परिशोधन किया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में परिवर्धनमूल्ह्रास पर यथानुसार आधार पर ,कटौती करने के संबंध में/ विचार किया जाता है।

4.3 5,रुपये या इससे कम लागत वाली परिसंपत्तियों को पूर्णतः शामिल किया गया है। 000

5. विविध व्यय

अस्थगित राजस्व व्यय को इसमें उपगत होने के वर्ष से पांच वर्ष की अवधि तक बट्टे खाते में डाला जाएगा।

6. बिक्री का लेखाजोखा रखना-

बिक्री में उत्पाद शुल्क शामिल है और इसमें निवल बिक्री प्रतिलाभ छूट और कारोबारी छूट शामिल है। ,

7. सरकारी अनुदानआर्थिक सह/ायता

7.1 परियोजना गठित करने की पूंजीगत लागत के लिए अंशदान स्वरूप के सरकारी अनुदान को पूंजीगत आरक्षित निधि के रूप में लिया जाएगा।

7.2 अर्जन की गई विनिर्दिष्ट अचल परिसंपत्तियों के अनुदानों को संबंधित परिसंपत्तियों की लागत से कटौती के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

7.3 सरकारी अनुदानों/आर्थिक सहायता को वसूली आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा लेनदेन-

8.1 विदेशी मुद्रा में वर्गीकृत लेन-देन तारीख को प्रचलित विनिमय दर में लेखाबद्ध किया जाता है।

8.2 चालू परिसंपत्ति, विदेशी मुद्रा ऋण और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप लाभ/हानि को अचल परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है, यदि विदेशी मुद्रा देयता अचल परिसंपत्तियों से संबंधित है, और अन्य मामलों में राजस्व के लिए विचार किया जाता है।

9. पट्टा

पट्टा किराया खर्च पट्टा संबंधी शर्तें से संबंधित है।

10. सेवानिवृत्ति लाभ

10.1 कर्मचारी की मृत्यु सेवानिवृत्ति पर संदेय उपदान के लिए देयता/बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रोद्भूत होती है।

10.2 कर्मचारी को संचित छुट्टी नकदीकरण लाभ के लिए उपबंध इन अवधारणा के आधार पर प्रोद्भूत और परिकलित किए जाते हैं कि कर्मचारी इन सुविधाओं को प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्त करने के लिए हकदार हैं।

अनुसूची-XXVI

आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां (निदर्शी)

1. आकस्मिक देयताएं

1.1 संगठन के संबंध में ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है - ______ रुपये (पिछले वर्ष ______ रुपये)।

1.2 निम्नलिखित के संबंध में :

- संगठन द्वारा/की ओर से बैंक गारंटी - ______ रुपये (पिछले वर्ष ______ रुपये)।
- संगठन की ओर से बैंक द्वारा खोला गया साख-पत्र -______ रुपये (पिछले वर्ष ______ रुपये)।
- बैंक में भुनाए गए बिल - ______ रुपये (पिछले वर्ष ______ रुपये)।

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांग :

1.4 ऐसे दावों के संबंध में जिन्हें ऑर्डर का निष्पादन न करने पर पक्षकारों द्वारा किया गया है लेकिन संगठन द्वारा उसका विरोध किया गया है - ______ रुपये (पिछले वर्ष ______ रुपये)।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता

ठेकों का अनुमानित मूल्य जिनका पूंजी के कारण निष्पादन नहीं है और जिनके लिए (निवल अग्रिम) नहीं दिया गया ______ रुपये (पिछले वर्ष ______ रुपये)।

3. पट्टा संबंधी दायित्व

संयंत्र और मशीनरी के लिए पट्टा व्यवस्था के तहत भावी दायित्व ______ रुपये (पिछले वर्ष ______ रुपये)।

4. चालू परिसंपत्तिऋण और अग्रिम ,

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का सामान्य कारोबार के दौरान नकदीकरण पर मूल्य, कम से कम तुलन-पत्र में दर्शायी गई कुल राशि के बराबर होता है।

5. कराधान

आय-कर अधिनियम, 1961 के तहत कोई कर योग्य आय नहीं होने के कारण, आयकर के लिए उपबंध करना आवश्यक नहीं समझा गया।

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
6. विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन-		
6.1 लागत बीमा और भाड़ा (सी.आई.एफ.) आधार पर परिकल्पित आयात का मूल्य		
- तैयार माल की खरीद		
- कच्चामाल और घटक (मार्गस्थ सहित)		
- पूंजीगत माल		
- स्टोर्स, अतिरिक्त सामान और उपभोज्य सामान		
यात्रा		
वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषण और ब्याज का भुगतान		
अन्य व्यय		
बिक्री पर कमीशन		
विधिक और व्यवसायगत व्यय		
विविध व्यय		
आय		
पोत पर्यन्त निःशुल्क आधार पर निर्यात का मूल्य (एफओबी)		
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक:		
निम्नलिखित के लिए लेखापरीक्षक		
- कराधान		
- प्रबंधन सुविधा के लिए		
- प्रमाणन के लिए		
6.1 विदेशी मुद्रा में व्यय		
अन्य		

7. पिछले वर्ष के सदश आंकड़ों को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

8. 1 से 23 तक की अनुसूचियों को तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया गया है और वे _________ के तुलन पत्र का और उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा का अभिन्न हिस्सा है।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2018

G.S.R. 1023(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of section 125 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**. – (1) In these rules, unless context otherwise requires, –

a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
b) "Authority" means the Investor Education and Protection Fund Authority constituted under sub-section (5) of section 125 of the Act;
c) 'Form' means the Form annexed to these rules;
d) "Fund" means the Investor Education and Protection Fund established under sub-section (1) of section 125 of the Act;
e) "investor" means any person, who has invested money in shares or debentures, bond or deposits under a scheme or plan of a company registered under the Act;
f) 'Schedule' means the Schedule to the Form annexed to these rules;
g) "year" means the financial year beginning on 1st April and ending on 31st March of the year immediately following.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings assigned to them in the Act.

3. Forms of Financial Statements.-(1) The Authority shall maintain its accounts in the Form of financial statements annexed to these rules.

(2) The Authority shall follow the instructions and accounting principles for maintaining the financial statements issued or laid down by the Central Government from time to time.

(3) The financial statements shall give a true and fair view of the State of affairs of the Authority and shall comply with the Accounting Standards notified under section 133 of the Act.

4. **Incurring of Expenditure by the Authority.-**The officer of the Authority incurring or authorising expenditure from the Fund shall follow the Standards of financial propriety and the General Financial Rules, 2017.

5. **Annual Statement of Accounts.-**(1)At the end of a period of twelve months ending with 31st March of every year, the Authority shall prepare the following financial statements along with Schedules, as required, notes on accounts and significant accounting policies in accordance with the notes and instructions for compilation of financial statements prescribed by Government of India, Ministry of Finance, Controller-General of Accounts as modified and annexed to these rules:

(i) balance sheet,
(ii) income and expenditure Account,
(iii) receipt and payment Account.

(2) The balance sheet, income and expenditure account and receipt and payment account and the Schedules referred to in sub-rule (1), shall be approved and adopted by the Authority or a Committee authorised by the Authority on its behalf and for the purpose of authentication, the same shall be signed by the Chairperson and one Member of the Authority.

(3) The approved accounts of the Authority shall be forwarded to the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him on his behalf within the period of three months after the expiry of the year for the purposes of audit.

(4) The annual accounts of the Authority, as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him on his behalf, alongwith the audit report thereon after adoption by the Authority shall be forwarded to the Central Government for laying before both the Houses of Parliament.

6. Maintenance of Accounts etc.-The Authority shall preserve the balance sheet, income and expenditure account, Schedules to the above statements and the receipt and payment account referred to in sub-rule (1) of rule 5 for a minimum period of eight years, following the year to which they relate.

[F. No. 05/14/2017- IEPF]

ANURAG AGARWAL, Jt. Secy.

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS
[see rule 3]

Name of Entity: **Investor Education and Protection Fund Authority**

BALANCE SHEET AS AT___________

(Amount Rs.)

FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Prev. Year
Corpus/Capital Fund	I		
Reserves and Surplus	II		
Earmarked/Endowment Funds	III		
Secured Loans and Borrowings	IV		
Unsecured Loans and Borrowings	V		
Deferred Credit Liabilities	VI		
Current Liabilities and Provisions	VII		
TOTAL			
ASSETS			
Fixed Assets	VIII		
Investments - From Earmarked/Endowment Funds of Authority	IX		
Investments - Others	X		
Current Assets, Loans and Advances	XI		
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)			

TOTAL			
Significant Accounting Policies	XXII		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	XXIII		

Investor Education and Protection Fund Authority

CHAIRPERSON **CEO**

Place: Delhi

Date

RECEIPT AND PAYMENT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED___________

[see rule 5]

(Amount - Rs)

RECEIPTS	**Current Year**	**Previous Year**	**PAYMENTS**	**Current Year**	**Previous Year**
I. Opening Balances			1. Expenses		
(a) Cash in Hand (b) Bank Balance			(a) Establishment expenses (corresponding to Sch. XV]		
(i) In Current Accounts			(b) Administrative Expenses (Corresponding to Sch. XIX)		
(ii) In Deposit Accounts			II. Payment made against funds for various projects		
(iii) Saving Accounts					
II. Grants Received			(Name of the fund or project should be shown along with		

(d) From Government of India			the particulars of payment made for each project		
(e) From State Government					
(f) From Other Sources (Details)					
(Grants for Capital and Revenue			III. investments and Deposits Made		
Expenditure to be shown separately)			a) Out of Earmarked /Endowment funds		
III Income on			b) Out of own Funds		

Investment from			(Investment-others)		
(a) Earmarked/Endow Funds					
(b) Own Funds (Other investments)			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
IV. Interest Received			a) Purchase of fixed Assets		
(i) On Bank deposits			b) Expenditure on Capital Work-in-progress		
(ii) Loans,					

advances etc.					
			V. Refund of surplus money/Loans		
			a) To the Government of India		
V. Other Income (Specify)			b) To the State Government		
			c) To other providers of funds		
			VI) Finance Charges (Interest)		
VI. Amount Borrowed.			VII) Other Payments (Specify)		
			VIII. Closing Balances		
VII. Any other receipts (give details)			a) Cash in Hand		
			b) Bank Balances		
			(i) In Current Accounts		
			(ii) In Deposit Accounts		
			(iii) Savings Accounts		
TOTAL			TOTAL		

Investor Education and Protection Fund Authority

CHAIRPERSON **CEO**

Place: Delhi

Date:

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED___________

[see rule 5]

(Amount - Rs)

INCOME	**Schedule**	**Current Year**	**Previous Year**
Income from sales/services	XII		
Grants/Subsidies	XIII		
Fees/Subscriptions	XIV		
Income from Investments (Income on invest, from earmarked/endow funds transferred to funds).	XV		
Income from Royalty, Publications etc.	XVI		
Interest Earned	XVII		
Other Income Increase/(Decrease) in stock of Finished goods and Work in Progress	XVIII XIX		
Total (A)			
EXPENDITURE	Schedule	Current Year	Previous Year
Establishment Expenses	XX		
Other Administrative Expenses, etc.	XXI		
Expenditure on Grants, subsidies etc.	XXII		
Interest	XXIII		
Depreciation(Net Total at the year end)	XXIV		
TOTAL (B)			
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B) Transfer to Special Reserve (Specify each) Transfer to/from General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND			

Significant Accounting Policies	XXV		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	XXVI		

Investor Education and Protection Fund Authority
CHAIRPERSON CEO

Place: Delhi
Date:

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31at March 20…..

____
(see rule 5)

SCHEDULE - I
Corpus/ Capital Fund

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
Balance as at the beginning of the year				
Add: Contributions towards **Corpus/ Capital** fund				
Add/(Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account				
BALANCE AS AT THE YEAR –END				

SCHEDULE - II
RESERVES AND SURPLUS

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
1. Capital Reserve (i) As per last Account (ii) Addition during the year (iii) Less: Deductions during the year				
2. Revaluation Reserve (i) As per last Account (ii) Addition during the year (iii) Less: Deductions during the year				
3. Special Reserves (i) As per last Account (ii) Addition during the year (iii) Less: Deductions during the year				
4. General Reserve (i) As per last Account (ii) Addition during the year (iii) Less: Deductions during the year				
TOTAL				

SCHEDULE - III

EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount - Rs.)

		Fund Break up			Totals	
Fund		**Fund**			**Current Year**	**Previous Year**
	a) Opening balance of the funds					
	b) Additions to the Funds: (i) Donations/grants					
	(ii) Income from investments made on account of funds					
	(iii) Other additions (specify nature)					
	Total (a+b)					
	c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds					
	i) Capital Expenditure - Fixed Assets - Others Total					
	ii) Revenue Expenditure - Salaries, Wages and allowances etc. - Rent - Other Administrative					
	Expenses Total **TOTAL (c)**					
	NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a + b - c)					

Notes

(1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.

(2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

SCHEDULE - IV

SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount Rs.)

	Current Year		Previous Year	
1. Central Government				
2. State Government (Specify)				
3. Financial Institutions				
a) Terms Loans b) Interest accrued and due				
4. Banks				
a) Term Loans - Interest accrued and due				
b) Other Loans (specify) - Interest accrued and due				
5. Other Institutions and Agencies				
6. Debentures and bonds				
7. Others (Specify)				
TOTAL				

Note: Amounts due within one year

SCHEDULE – V

UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount - Rs.)

	Current Year	**Previous Year**
1. Central Government		
2. State Government		
3. Financial Institutions		
4. Banks:		
a) Term Loans		
b) Other Loans (specify)		
5. Other Institutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Fixed Deposits		
8. Others (specify)		
TOTAL		

Note: Amounts due within one year

SCHEDULE - VI

DEFERRED CREDIT LIABILITIES

(Amount - Rs.)

	Current Year	**Previous Year**
1. Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets.		
2. Others		
TOTAL		

Note: Amounts due within one year

SCHEDULE – VII

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Amount - Rs.)

	Current Year		**Previous Year**	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances				
2. Sundry creditors:-				
a. For Goods				
b. Others				
3. Advances Received				
4. Interest accrued but not due on:				
(a) Secured Loans/borrowings				
(b) Unsecured Loans/borrowings				
5. Statutory Liabilities:				
(a) Overdue				
(b) Others				
6. Other Current Liabilities				
TOTAL (A)				
B. PROVISIONS				
1. For Taxation				
2. Gratuity				
3. Superannuation/Pension				
4. Accumulated Leave Encashment				
5. Trade Warranties/Claims				

6. Others (specify)				
TOTAL (B)				
TOTAL (A+B)				

SCHEDULE - VIII

FIXED ASSET

(Amount - Rs.)

	GROSS BLOCK				**DEPRECIATION**				**NET BLOCK**	
description	cost/valuation as at beginning of the year Rs.	additions during the year rs.	deductions/adjustments during the year Rs.	cost /valuation the year end rs.	as at the beginning of the year Rs.	during the year	on deduction during the year Rs.	total up to the year end rs.	as at the current year-end	as at the previous year end
A. FIXED ASSETS										
1. Land										
a) Freehold										
b) Leasehold										
2. BUILDINGS:										
a) On Freehold Land										
b) On Leasehold land										
e) Ownership Flat /										

Premises d) Superstructures on Land not belonging to the entity									
3. PLANT MACHINERY &									
EQUIPMENT									
4. VEHICLES									
5. FURNITURE & FIXTURES									
6. OFFICE EQUIPMENT S									
7. COMPUTERS / PERIPHERALS									
8 ELECTRICAL INSTALLATIONS									
9 LIBRARY BOOKS									
10 TUBEWELLS & W SUPPLY									
11 OTHER FIXED									

ASSETS

TOTAL OF CURRENT YEAR										
PREVIOUS YEAR										
CAPITAL WORK IN PROGRESS										
TOTAL										

Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above.

SCHEDULE - IX
INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount - Rs.)

	Current Year	**Previous Year**
1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
TOTAL		

SCHEDULE - X

INVESTMENTS - OTHERS

(Amount - Rs.)

	Current Year	**Previous Year**
1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
TOTAL		

SCHEDULE - XI
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.

(Amount - Rs.)

		Current Year Rs.		**Previous Year Rs.**	
	CURRENT ASSETS. LOANS. ADVANCES ETC.				
A	**Current Assets:** **1.** Inventories				
	(a) Stores and Spares				
	(b) Loose tools				
	(c) Stock-in-trade Finished Goods Work in Progress Raw Material (if not relevant nil may be written)				
	2. Sundry Debtors				
	a) Debts Outstanding for a period exceeding six months				
	b) Others				
	3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)				
	4. Bank Balances :				
	With Scheduled Banks: With Non Scheduled Bank				
	- In Current Accounts				
	- In Deposit Accounts (incl. margin money)				
	- On Savings Accounts				
	5. Post Office - Savings Accounts				
	TOTAL (A)				
B	**LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS**				
	1. Loans to :				
	a) Staff				
	b) Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the Entity				
	c) Other (specify)				
	2. Advances and other amount recoverable in cash or in kind or for value to be received:				
	a) On Capital Account				

	b) Prepayments				
	c) Others 3. Income Accrued a) On Investments from Earmarked/ Endowment Fund b) On Investments-others c) On Loans and Advances d) Others (includes income due unrealized Rs. .....) 4. Claims Receivable TOTAL (B) TOTAL (A+B)				

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31STMarch 20…..

SCHEDULE XII

INCOME FROM SALES/ SERVICES

Amount(Rs)

	Current year	Previous Year
Income from sales		
Income from services		

SCHEDULE XIII

GRANTS/SUBSIDIES

(Irrevocable Grants & Subsidies Received)

(Amount-Rs.)

	Current Year	Previous Year
1) Central Government		
2) State Government(s)		
3) Government Agencies		
4) Institutions/Welfare Bodies		
5) International Organisations		
6) Others (Specifiy)		
TOTAL		

SCHEDULE – XIV
FEES/SUBSCRIPTIONS

(Amount-Rs.)

	Current Year	**Previous Year**
1) Entrance Fees		
2) Filing Fees		
3) Seminar/Programe Fees		
4) Consultancy Fees		
5) Others (Specifiy)		
TOTAL		

Note—Accounting Policies towards each item are to be disclosed

SCHEDULE – XV
INCOME FROM INVESTMENTS
(Income on Invest. From Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)

(Amount-Rs.)

	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
1) Interest	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
a) On Govt. Securities				
b) Other Bonds/Debetures				
2) Dividends				
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				
3) Rents				
4) Others (Specify)				
Total				

Transferred to Earmarked/Endowment Funds

SCHEDULE - XVI
INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

(Amount-Rs.)

	Current Year	**Previous Year**
1) Income from Royalty		
2) Income from Publications		
3) Others (Specifiy)		
TOTAL		

SCHEDULE - XVII
INTEREST EARNED

(Amount-Rs.)

1) On Term Deposits: Current Year	Previous Year
a) With Scheduled Banks	
b) With Non-Scheduled Banks	
c) With Institutions	
d) Others	
2) On Savings Accounts:	
a) With Scheduled Banks	
b) With Non-scheduled Banks	
c) Post Office Savings Accounts	
d) Others	
3) On Loans:	
a) Employees/Staff	
b) Others	
4) Interest on Debtors and Other Receivables	
TOTAL	

Note - Tax deducted at source to be indicated

SCHEDULE - XVIII
OTHER INCOME

(Amount-Rs.)

	Current Year	Previous Year
1) Profit on Sale/disposal of Assets:		
a) Owned assets		
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2) Fees for Miscellaneous Services		
3) Miscellaneous Income		
TOTAL		

SCHEDULE- XIX

INCREASE/(DECREASE)IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS

Amount (Rs)

	Current year	Previous Year
Income from sales		
Income from services		

SCHEDULE - XX

ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount-Rs.)

	Current Year	**Previous Year**
a) Salaries and Wages		
b) Allowances and Bonus		
c) Contribution to Provident Fund		
d) Contribution to Other Fund (specify)		
e) Staff Welfare Expenses		
f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits		
g) Others (specify)		
TOTAL		

SCHEDULE - XXI

OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.

(Amount-Rs.)

	Current Year	Previous Year
a) Purchases		
b) Labour and processing expenses		
c) Cartage and Carriage Inwards		
d) Electricity and power		
e) Water charges		
f) Insurance		
g) Repairs and Maintenance		
h) GST		
i) Rent, Rates and Taxes		
j) Vehicles Running, Maintenance or Hiring charges		

k) Postage, Telephone and Communication Charges		
l) Printing and Stationery		
m) Travelling and Conveyance Expenses		
n) Expenses on Seminar/Workshops		
o) Subscription Expenses		
p) Expenses of Fee		
q) Auditors Remuneration/Legal Fee		
r) Hospitality Expenses		
s) Professional Charges		
t) Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances		
u) Irrecoverable Balances return off		
v) Packing Charges		
w) Freight and Forwarding Expenses		
x) Distribution Expenses		
y) Advertisement and Publicity		
z) Others (to be specified)		
TOTAL		

SCHEDULE - XXII

EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.

(Amount - Rs.)

	Current Year	Previous Year
a) Grants given to Institutions/Organisations		
b) Subsidies given to Institutions/Organisations		
TOTAL		

Note : Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/subsidies are to be disclosed.

SCHEDULE - XXIII
INTEREST

(Amount - Rs.)

	Current Year	Previous Year
(a) On Fixed Loans		
(b) On Other Loans (including Bank Charges)		
(c) Others (specify)		
TOTAL		

SCHEDULE - XXIV
DEPRECIATION (TOTAL AT THE YEAR END)

(Amount - Rs.)

	Current Year	Previous Year
(a) On Fixed ASSETS		
(b) On Movable Assets		
(c) Others (specify)		
TOTAL		

SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 20……
SCHEDULE - XXV

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Illustrative)

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. INVESTMENTS

2.1 Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.

2.2 Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.

2.3 Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

3. FIXED ASSETS

3.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses

(including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.

3.2 Fixed Assets received by way of non-monetary grants, (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

4. DEPRECIATION

4.1 Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income-tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

4.2 In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.

4.3 Assets consisting Rs.5,000 or less each are fully provided.

5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

6. ACCOUNTING FOR SALES

Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount.

7. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

7.1 Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.

7.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.

7.3 Government grants/subsidy are accounted on realization basis.

8. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

8.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

8.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability related to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

9. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

10. RETIREMENT BENEFITS

10.1 Liability towards gratuity payable on death/retirement of employees is accrued based on actuarial valuation.

10.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

SCHEDULE - XXVI

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative)

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts - Rs.______________

(Previous year Rs.___________)

1.2 In respect of:

- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity -Rs.__________(Previous year **Rs.**_____________**).**

- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity -Rs.________(Previous year Rs._________).

- Bills discounted with banks Rs.________(Previous year Rs.________).

1.3 Disputed demands in respect of:

1.4 In respect claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity - Rs.________(Previous year Rs._________).

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. (Previous year Rs._________).

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs._________(Previous year Rs._________).

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

In view of there being no taxable income under Income-tax Act 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

Current Year Previous Year

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

6.1 Value of Imports calculated on C.I.F Basis:

- Purchase of finished Goods

- Raw Materials & Components (Including in transit)

- Capital Goods

- Stores, Spares and Consumables

d) Travel

e) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/ Banks in Foreign Currency

f) Other expenditure:

- Commission on Sales

- Legal and Professional Expenses

- Miscellaneous Expenses

Earnings:

Value of Exports on FOB basis

Remuneration to auditors:

As Auditors

- Taxation matters

- For Management services

- For certification

6.2 Expenditure in Foreign Currencies.
Others

7. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/ rearranged, wherever necessary.

8. Schedules I to XXIII are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at___________ and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

अधिसूचना

नई दिल्ली ,11 अक्तूबर2018 ,

सा.का.नि. 1024(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 125 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् **–**

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय) नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "वार्षिक रिपोर्ट" से अधिनियम की धारा 125 की उप-धारा(11) के अधीन प्राधिकरण द्वारा तैयार वार्षिक रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा के अधीन गठित विनिधानकर्ता शिक्षा (5) की उपधारा 125और संरक्षा निधि प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "निधि" से अधिनियम की धारा 125 के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि (आईईपीएफ) अभिप्रेत है;

(च) "विनिधानकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी की किसी स्कीम या योजना के अधीन शेयरों, या डिबेंचरों बंध ,पत्र या निक्षेप में धन का विनिधान किया है;

(छ) "वर्ष" से एक अप्रैल से प्रारंभ होने वाले और तत्काल पश्चातवर्ती वर्ष की मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष 31 अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. वार्षिक रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करना – (1) प्राधिकरण वर्ष के दौरान किए गए अपने कार्यकलापों का सत्य और पूर्ण विवरण देते हुए अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रत्येक वर्ष में एकबार एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(2) प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा से ऐसे अन्य मद भी वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित कर सकेगा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

(3) प्राधिकरण वार्षिक रिपोर्ट को उस वर्ष, जिसके लिए यह तैयार की गई है, की समाप्ति के तुरंत बाद एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

(4) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के प्ररूप और समय से संबंधित ऐसे मामलों में, जिनके बारे में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में केंद्रीय सरकार को उसके निर्णय के लिए भेजे जाएंगे और केंद्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

अनुसूची

वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

[नियम 3(1) देखें]

क. प्रस्तावना – (i) अध्यक्ष का कथन;

(ii) उद्देश्य;

(iii) महत्वपूर्ण उपलब्धियां।

ख. प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रतिदाय आवेदन – प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रतिदाय आवेदन पर सारणी रूप में कथन सहित संक्षिप्त वर्णन निम्नानुसार होगा :

(i) वर्ष के आरंभ में लंबित आवेदनों की संख्या;

(ii) वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या;

(iii) उन आवेदनों की संख्या जिनमें प्रतिदाय के लिए मंजूरी दी गई है;

(iv) उन आवेदनों की संख्या जिन्हें रद्द किया गया;

(v) आईईपीएफ [लेखांकन लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय] दूसरा संशोधन नियम, 2016; के अनुसरण में बंद आवेदनों की संख्या;

(vi) वर्ष के अंत तक लंबित आवेदनों की संख्या।

ग. विनिधानकर्ता जागरुकता समर्थन – धारा 125 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन किए गए कार्यकलापों का संक्षिप्त वर्णन –

(i) विनिधानकर्ताओं में जागरुकता लाने के लिए कार्यशालाएं, सेमीनार और आमजन/विशेषज्ञों/नीति निर्माताओं/नियामक निकायों के साथ चर्चा;

(ii) प्रत्येक विनिधानकर्ता जागरुकता समर्थन कार्यों का विवरण;

(iii) विनिधानकर्ता समर्थन के लिए और विनिधानकर्ताओं के मामलों में जागरुकता लाने हेतु प्रकाशित पत्र और अध्ययन;

(iv) अन्य।

घ. प्रशासन और स्थापना मामले – (1) सीईओ की रिपोर्ट;

(2) प्राधिकरण का गठन;

(3) प्राधिकरण की बैठकें;

(4) वर्ष के दौरान नियुक्त अध्यक्ष या सदस्यों का विवरण और वर्ष में सदस्य जिसने पद छोड़ा, साथ में पद छोड़ने के कारण;

(5)संगठनात्मक संरचना;

(6) प्राधिकरण में कार्मिकों की सूचना का एक सारणीबद्ध विवरण, प्रवर्ग अनुसार : स्वीकृत पद, भरे गए पद, रिक्तियां, वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियां साथ में एक सह-सारणी जिसमें सरकार की आरक्षण नीति के अधीन विभिन्न प्रवर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए समान विवरण हों;

(7) कर्मचारी कल्याण उपाय, यदि कोई हो, जो प्राधिकरण द्वारा रोजगार की नियमित निबंधनों और शर्तों के परे चलाया जाए।

ङ. आईईपीएफ को रकम का अंतरण (सीएफआई में अनुरक्षित) –

(1) वर्ष 2001 से वर्ष के आरंभ तक आईईपीएफ को कंपनियों द्वारा अंतरित रकम;

(2) वर्ष के दौरान कंपनियों द्वारा आईईपीएफ को अंतरित रकम;

(3) वर्ष के अंत में आईईपीएफ में उपलब्ध अतिशेष;

(4) अन्य कोई सूचना।

च. आईईपीएफ में उपलब्ध रकम का वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) को अंतरण – (1) वर्ष के आरंभ में एससीडब्ल्यूएफ से आईईपीएफ को रकम का अंतरण;

(2) वर्ष के दौरान आईईपीएफ से एससीडब्ल्यूएफ को रकम का अंतरण;

(3) वर्ष के अंत में एससीडब्ल्यूएफ को अंतरित कुल रकम;

(4) अन्य कोई सूचना।

छ. कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों का अंतरण – (1) वर्ष के आरंभ में कंपनियों द्वारा आईईपीएफ को अंतरित शेयरों की संख्या;

(2) वर्ष के दौरान आईईपीएफ को कंपनियों द्वारा अंतरित शेयरों की संख्या;

(3) वर्ष के दौरान आईईपीएफ द्वारा प्रतिदाय किए गए शेयरों की संख्या;

(4) वर्ष के अंत में आईईपीएफ के पास उपलब्ध शेयरों की संख्या;

(5) अन्य कोई सूचना।

ज. बजट एवं लेखा – (1)वृहद प्रवर्गों के अधीन बजट अनुमान और संशोधित अनुमान;

(2) वर्ष के आरंभ में आरक्षित निधि में उपलब्ध अतिशेष;

(3) अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (3) के क्रियाकलाप करने हेतु भारत की संचित निधि (सीएफआई) से वर्ष के दौरान निधियों का आवंटन;

(4) वृहत प्रवर्गों के अधीन वास्तविक व्यय;

(5) वर्ष के अंत में आरक्षित निधि में उपलब्ध अतिशेष;

(6) अन्य कोई सूचना।

झ. सूचना का अधिकार अधिनियम –

(क) सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांगने हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या;

(ख) आवेदनों की संख्या जिनमें सीपीआईओ ने सूचना उपलब्ध कराई है;

(ग) सीपीआईओ के पास लंबित आवेदनों की संख्या;

(घ) सीपीआईओ के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष फाइल अपीलों की संख्या;

(ङ) अपीलों की संख्या जिनका प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निपटान किया गया;

(च) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित अपीलों की संख्या;

(छ) निर्धारित समय सीमा के भीतर न निपटाए गए आवेदनों/अपीलों की संख्या।

[फाआईईपीएफ-2017/14/05 .सं.]

अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th october, 2018

G.S.R. 1024 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of section 125 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Form and Time of Preparation of Annual Report) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless context otherwise requires, –

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "Annual Report" means the annual report prepared by the Authority under sub-section (11) of section 125 of the Act;

(c) "Authority" means the Investor Education and Protection Fund Authority constituted under sub-section (5) of section 125 of the Act;

(d) "Form" means the Form annexed to these rules;

(e) "Fund" means the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under section 125 of the Act;

(f) "Investor" means any person, who has invested money in shares, or debentures, bond or deposits under a scheme or plan of a company registered under the Act;

(g) "Year" means the financial year beginning on 1st April and ending on 31st March of the year immediately following.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings assigned to them in the Act.

3. Preparation and furnishing of the Annual Report. – (1) The Authority shall prepare once in every year an Annual Report in the form specified in the Schedule, giving a true and full account of its activities performed in the year.

(2) The Authority may also include in the Annual Report any other item, not included in the form specified in the Schedule, with the prior permission of the Central Government.

(3) The Authority, shall forward the annual report to the Central Government within a period of one hundred and eighty days immediately following the close of the year for which it has been prepared.

(4) The matters relating to form and time of preparation of Annual Report, with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government shall be final.

Schedule
Form of the Annual Report
[see rule 3(1)]

A. Introduction. - (i) Chairperson's statement;

(ii) Objectives;

(iii) Important achievements.

B. Refund application received by the Authority. – A brief narrative alongwith a tabular statement on Refund application received by the Authority as follows: -

(i) Number of applications pending at the beginning of the year;

(ii) Number of applications received during the year;

(iii) Number of applications in which sanction for refunds were made;

(iv) Number of applications in which rejections were made;

(v) Number of applications closed pursuant to rule 7 of IEPF (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Second Amendment Rules, 2016;

(vi) Number of applications pending at the end of the year.

C. Investor Awareness advocacy. - A brief narrative of activities undertaken under clause (b) of sub-section (3) of Section 125: -

(i) Workshops, seminars and other interactions with public/experts/policy makers/regulatory bodies for creating awareness among investors;

(ii) Details of each and every investor awareness advocacy;

(iii) Papers and studies published for investor advocacy and for creating awareness of investors issues;

(iv) Others.

D. Administration and establishment matters. - (1) Report of the CEO;

(2) Composition of the Authority;

(3) Meetings of the Authority;

(4) Details of Chairperson or Members appointed in the year and Members who demitted office, along with reasons for demitting office, in the year;

(5) Organizational structure;

(6) A tabular statement containing information on Personnel in Authority, category-wise: Sanctioned posts, posts filled up, vacancies, appointments made in the year along with a sub-table giving similar details for the posts reserved for various categories under the reservation policy of the Government;

(7) Employee welfare measure, if any, beyond the regular terms and conditions of employment, undertaken by the Authority.

E. Transfer of amounts to IEPF (maintained in CFI). - (1) Amount transferred by Companies to IEPF from the year 2001 to the beginning of the year;

(2) Transfer of amount to IEPF by the companies during the year;

(3) Balance available in the IEPF at the end of the year;

(4) Any other information.

F. Transfer of amounts lying in IEPF to Senior Citizen Welfare Fund (SCWF). - (1) Amount transferred from IEPF to SCWF at the beginning of the year**;**

(2) Transfer of amount from IEPF to SCWF during the year;

(3) Total amount transferred to SCWF at the end of the year;

(4) Any other information.

G. Transfer of shares by Companies to the IEPF Authority. - A brief narrative alongwith a tabular statement on Refund application received by the Authority as follows: -

(1) No. of shares transferred by Companies to IEPF at the beginning of the year;

(2) No. of shares transferred by Companies to IEPF during the year;

(3) No. of shares refunded by the IEPF during the year;

(3) No. of shares available in the IEPF at the end of the year;

(4) Any other information.

H. Budget and accounts. - (1) Budget estimates and revised estimates, under broad categories;

(2) Balance available in the Reserve Fund at the beginning of the year;

(3) Allocation of funds from Consolidated Fund of India (CFI) during the year for carrying out activities under sub-section (3) of section 125 of the Act;

(4) Actual expenditures under broad categories;

(5) Balance available in the Reserve Fund at the end of the year;

(6) Any other information.

I. RTI Act. – (a) Number of applications received by CPIO/ACPIO seeking information under RTI Act;

(b) Number of applications for which information has been provided by CPIO;

(c) Number of applications pending with CPIO;

(d)Number of appeals filed before First Appellate Authority against the order of CPIO;

(e) Number of appeals which have been disposed of by First Appellate Authority;

(f) Number of appeals pending with First Appellate Authority;

(g) Number of applications /appeals not disposed of in the stipulated time frame.

[F. No. 05/14/2017-IEPF]

ANURAG AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.10.22 15:24:19 +05'30'